इकाई 19 ढाँचागत सुविधा

इकाई की रूपरेखा

19.0 उद्देश्य
19.1 प्रस्तावना
19.2 पर्यटन ढाँचागत सुविधाएं
  19.2.1 आवास
  19.2.2 परिवहन
19.3 विशेष पर्यटन उत्पाद: पर्यटन ढाँचागत सुविधाओं के लिए नए आयाम
  19.3.1 सम्मेलन पर्यटन
  19.3.2 संकेन्द्रित विकास के लिए सर्केट्स/गन्तव्य/स्थान
  19.3.3 विशेष पर्यटन क्षेत्र
19.4 कर्नाटक पर्यटन विकास का केस अध्ययन
  19.4.1 पर्यटन नीति 1992
  19.4.2 प्रभाव
19.5 स्थानीय समुदाय का दृष्टिकोण: उड़ीसा और केरल
19.6 विकास से सीख
19.7 विकास के वैकल्पिक मॉडल
19.8 सारांश
19.9 शब्दावली
19.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

19.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- पर्यटन ढाँचागत सुविधा का अर्थ समझ सकेंगे,
- कर्नाटक के विशेष संदर्भ में पर्यटन ढाँचागत सुविधा के विकास से सम्बन्धित सरकार द्वारा किए गए नेतृत्व की प्रकृति को सकेंगे,
- विभिन्न विकासीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में स्थानीय समुदायों की प्रतिक्रियाएं समझ सकेंगे, और
- पर्यटक गन्तव्यों में एक विकास का माडल सृजित कर सकेंगे।

19.1 प्रस्तावना

पर्यटन राष्ट्रीय कार्ययोजना अभिव्यक्त करती है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन और मौजूद क्षमता को आयाम दिए जाएं तो भारत में पर्यटन उद्योग के त्वरित विकास के अत्यधिक अवसर हैं। यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत को 20वीं शताब्दी तक 50 लाख पर्यटकों का लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। हालांकि इसके कारण भूमि और पर्यावरण पर इतना दबाव पड़ेगा जितना पहले कभी नहीं पड़ा। आरंभ में सामान्यता सरकार की नीति और उन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जैसे आवास और परिवहन जिनके लिए समुचित प्रयास और निवेश किए गए है।

आगामी भागों में कर्नाटक, उड़ीसा, और केरल के उदाहरण लिए गए हैं जहां पर्यटन से सम्बन्धित विकास योजनाओं ने वहां की जनता की तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। विकासीय परियोजनाओं के सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान का सविस्तार वर्णन किया गया है। इकाई विकास पर भी विचार करती है और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर उसके प्रत्यक्ष ज्ञान पर भी ध्यान आकर्षित कराती है। अन्ततः यह इकाई विकास के वैकल्पिक तरीके का सुझाव भी देती है जो स्थानीय समुदायों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के लिए संवेदनशील हैं।

19.2 पर्यटन ढाँचागत सुविधा

पर्यटन को आवास, परिवहन और आकर्षणों की आवश्यकता होती है ताकि वह अपनी पहुंच को विस्तार दे सके। इस मामले में सरकार का दृष्टिकोण यह है कि राज्य ने देश में सेवाओं के विकास के लिए पर्याप्त योगदान दिया है और अब समय आ चुका है कि निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को पर्यटन के त्वरित विकास के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। ये एक आर्दश (माडल) विकसित कर रहा है जो विश्व पर्यटन में भारत की बढ़ती हुई साझेदारी में मुख्य बाधा के रूप में ढाँचागत सुविधा की कमजोरियों की पहचान करता है। अतः कार्यनीति क्षेत्रों के गहन विकास के लिए चयनात्मक आधार पर उन गन्तव्यों की पहचान करना चाहती है जहां पर्यटक आकर्षण पहले से मौजूद है ताकि दिल्ली-आगरा-जयपुर जैसे क्षेत्रों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।

19.2.1 आवास

होटल पर्यटन ढाँचागत सुविधा का सबसे महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य भाग है। वर्तमान अनुमोदित श्रेणी की उपलब्ध आवासीय क्षमता 55000 कमरों की है। यदि हमें अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक बाजार में अपनी भागीदारी को दुगुना करना है तो इस दशक के अन्त तक आवास की इस क्षमता को भी दुगुना करना पड़ेगा। सरकार ने इस क्षेत्र की ओर विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय रियायतों की योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत करों की छूट और ऋण राशि को वापसी से मुक्त कर देना सम्मिलित है। वह क्षेत्र जिन्हें राज्य से अधिकतम सहायता प्राप्त होगी वह हैं ग्रामीण क्षेत्र, पर्वतीय स्थल तीर्थ केन्द्र और द्वीपीय एवं तटीय सैरगाहें। हेरिटेज होटल योजना पर्यटन विकास को प्रमुख पर्यटक सर्किट में परिणत कर देगी। ऐसा देशी पर्यटकों के आवास के शिविर स्थलों को स्थापित करके सुनिश्चित करना चाहिए। अपार्टमेन्ट होटलों पर भी विचार करना चाहिए।

चित्र-1 निकोबार वासियों की झोपड़ी

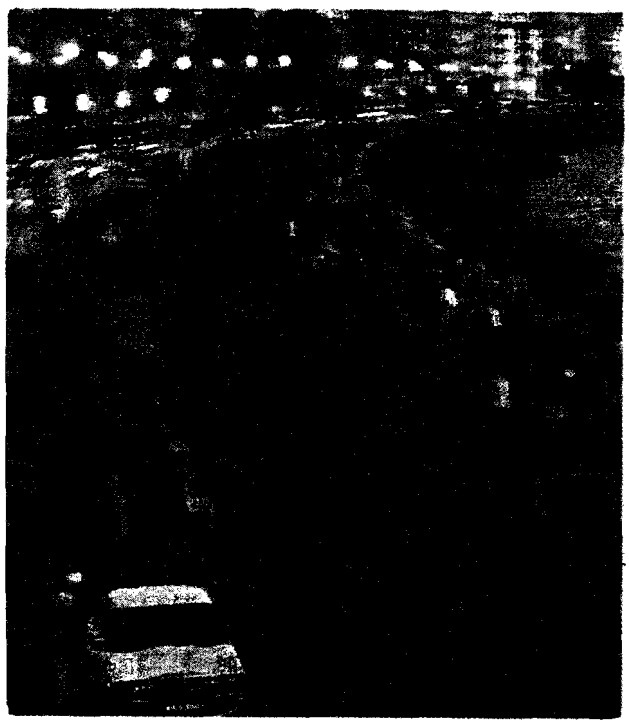

चित्र-2 ढाँचागत सुविधा के रूप में सड़कें मैरीन ड्राइव, मुम्बई

19.2.2 परिवहन

पर्यटक अपने गन्तव्य स्थलों तक पहुंचने के लिए हवाई एवं भूतल परिवहन का उपयोग करते हैं। इसलिए हमें अन्ततः रूपात्मक प्रकार का मिला-जुला परिवहन विकसित करनी चाहिए जिसमें पर्यटक वायु सेवा द्वारा भारत आएं, उन्हें कोई विशेष पर्यटक ट्रेन कोच यात्रा या हवाई पट्टी की सेवाएं मिल जाएं ताकि वह अपने गन्तव्य तक आसानी से और कम समय में पहुंच सकें। हमें रास्ते की सुविधाएं और परिवहन तन्त्र को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हमें कलात्मक कोच और कारें आयात करनी होगीं। राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्ग की स्थिति को सुधारना पड़ेगा और प्रवेश की सुख सुविधाओं और आकर्षणों को बढ़ाना पड़ेगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सहायता स्कीमों पर भी विचार किया जा रहा है ताकि पर्यटन व्यापार की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी की जा सके।

हवाई परिवहन के क्षेत्र में दो नई योजनाएं जिनका कार्यान्वयन हुआ है वह है खुले आकाश या उदारीकरण की नीति और छे निजी एयर लाइनों की व्यवस्था। शहरी विमानन महानिदेशालय किराये पर उड़ाने प्राप्त करनें की अनुमति अपने आप स्वीकृत कर देता है और अपने उदारीकरण के पहले वर्ष में भारत में आने वाले पर्यटकों के 50% इसका का उपयोग करना प्रारंभ कर चुके हैं। निजी हवाई सेवाएं उन्हें विभिन्न पर्यटक गन्तव्यों से जोड़ने की भूमिका निभाती हैं।

रेल पर्यटन के लिए प्रमुख मार्गो पर वातानुकूलित कोचों के उपयोग के अतिरिक्त विशेष पर्यटक गाड़ियों "पैलेस आन व्हील्स" के समान ही विकसित की जा रही है जो राजस्थान के बाहर प्रमुख पर्यटक सर्केटों जैसे गुजरात-राजस्थान सर्केट और मैसूर गोवा सर्केट से जोड़ेंगी।

जैसा कि मुम्बई-गोआ को मिलाने वाला जलमार्ग विकसित किया जा रहा है उसी आधार पर ऐश व आराम भरा जल यात्रियों के लिए जलयान भारत में भी पर्यटक बाजार में प्रेरणा स्वरूप लाया जा रहा है। शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया द्वारा चलाए जा रहे जलयान अभी भी लक्ष्यद्वीप और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपीय मार्गों पर चल रहे हैं। भारत के पर्यटकों को भी विदेशी मुद्रा विनिमय नियम के उदार होने की सुविधा के कारण अन्तर्राष्ट्रीय जल यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

19.3 विशेष पर्यटन उत्पाद : पर्यटन ढाँचागत सुविधाओं के लिए नए आयाम

पर्यटन ढाँचागत सुविधा की महत्वपूर्ण प्रारंभिक आवश्यकताओं आवास और परिवहन को जान लेने के बाद अब हमें पर्यटन के कुछ अन्य उत्पादों के विषय में जान लेना चाहिए।

19.3.1 सम्मेलन पर्यटन

विश्व के अत्यन्त दूरदराज क्षेत्रों तक अपनी गतिविधियों के प्रसार के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा आयोजित अभिसमय (conventions) और सम्मेलन सारे देशों में महत्वपूर्ण हो गये हैं। भारत अभिसमय तथा सम्मेलन परिसरों की स्थापना पर ध्यान दे रहा है। ऐसा पहला लक्ष्य मुम्बई में विकसित किया जा रहा है और इसके पश्चात दिल्ली में विकसित किया जाएगा। दक्षिण में बंगलौर भी एक ऐसा गंतव्य स्थान है जहां सम्मेलन पर्यटन विकसित किया जाएगा। छोटे पैमाने पर कंट्री क्लब और होटलों को अपने सम्मेलन आयोजित करके और दूर संचार और अन्य संचार सुविधाएं देकर इस व्यवसाय को आकर्षित करना पड़ेगा।

19.3.2 संकेन्द्रित विकास के लिए सर्किटों/गन्तव्य स्थान

संकेन्द्रित विकास के लिए 15 सर्किटों/गन्तव्य स्थलों की पहचान की गई है जो कि निम्नलिखत है:

- कुल्लू-मनाली-लेह
- ग्वालियर-शिवपुरी-ओरछा खजुराहो
- बगडोगरा-सिक्किम-दार्जिलिंग-कालिमपाँग
- भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क

- हैदराबाद-नागार्जुन-तिरूपति
- मद्रास-मसमल्लापुरम-पांडिचेरी
- ऋषिकेष-गंगोत्री-बद्रीनाथ
- इन्दौर-उज्जैन-माण्डू
- जैसलमेर-जोधपुर-बीकानेर-बाड़मेर
- लक्षद्वीप
- अण्डमान द्वीप समूह
- मनाली
- बेकल तट
- मुत्तूकाडू तट
- कांगड़ा

इन सर्किटों/गंतव्य स्थानों में केन्द्रीय सहायता से या राज्य/निजी संसाधनों द्वारा निवेश से सुविधाएं एवं ढांचागत सुविधाओं का विकास किया जाना है।

19.3.3 विशेष पर्यटन क्षेत्र

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से विदेशी पर्यटकों के लिए राज्यों की कला सुविधाओं के गहन विकास हेतु कुछ क्षेत्रों की घोषणा की है। इन क्षेत्रों को निर्यात संसाधन मण्डल जैसी भूमिका निभानी है। राज्य परिवहन प्राधिकरणों को मास्टर प्लान के अनुसार रियायती दरों पर होटलों और पर्यटन सम्बन्धी उद्योगों के लिए निवेशकों को इन्हें आवांटित करना चाहिए। राज्य द्वारा स्थापित क्षेत्र विकास प्राधिकरण सम्पूर्ण अधिकारों के साथ इस क्षेत्र का प्रबन्ध करेगा ताकि मास्टर प्लान की तैयारी हो सके और निवेशकों को एक ही खिड़की पर सुविधा दी जा सके। राज्य सरकार मौलिक ढाँचागत सुविधाओं जैसे सड़कों, परिवहन टर्मिनल, और रास्ते की सुविधाओं, विद्युत, जल, न्याय और कानून व्यवस्था और नागर सेवाओं में निवेश करेगी। केन्द्रीय सरकार सहयोगी ढाँचागत सुविधा जैसे हवाई अड्डा और हवाई सम्पर्क सेवा, संचार और डाक सम्पर्क, बैंकिग सेवाएं और रेलवे स्टेशन में मदद करेगी। कर और दर केन्द्र एवं राज्य दोनों ही के द्वारा दस वर्षों के लिए स्थिर कर दी जाएंगी ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके। उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना होगा।

द्वीपीय पर्यटन

यह भी निर्णय किया गया कि चयनात्मक रूप से द्वीपों को विशेष रूप से अण्डमान और लक्षद्वीप पर्यटन के लिए खोल दिया जाऐ। किन्तु निर्वहन क्षमता को ध्यान में रखना पड़ेगा। इन गंतव्य स्थानों को ऊंचे मूल्यों के निम्न परिमाण के पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। निवेशकों और समन्वयक संस्थाओं को इक्विटी सहयोग दिए जाने के लिए एक पर्यटन विकास निधि स्थापित करने की आवश्यकता है जिसमें राज्य सरकारें यात्रा व्यापार और केन्द्र सम्मिलित हों ताकि पर्यटन विकास सम्बन्धी सारे मामलों का समन्वय हो सके।

गोल्फ पर्यटन

इस प्रकार का पर्यटन, पर्यटन आयोजकों के लिए एक और लोकप्रिय विकास है किन्तु पर्यावरणीय आधार पर सारे विश्व में गोल्फ के मैदान का विरोध किया जा रहा है। गोल्फ पर आनेवाला व्यय इतना अधिक होता है कि इसको पुन: स्थापित करना आवश्यक हो गया है और नए गंतव्य स्थानों पर बागान या कृषि भूमि को गोल्फ के मैदानों में परिवर्तित किया जा रहा है। पर्यटन उद्योग ने भी इसे उन्नत करने के लिए 50 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं जिसे मुम्बई, दिल्ली और जयपुर और अन्य केन्द्रों के मैदानों के सुधार पर व्यय किया जाएगा। अंग्रेजों के द्वारा विकसित किए गए ऐतिहासिक मैदान ऐसी जगहों पर थे जिससे स्थानीय लोगों के व्यवसायों में हस्तक्षेप नहीं होता था। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान न

केवल जमीन घेरने वाले हैं बल्कि टर्फ और रूकावटें जिस क्षेत्र में बनाई जाती है वहां की प्राकृतिक वनस्पति और आहार श्रंखला को वे नष्ट कर देती है। ऐसे मैदान अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता की सहायता से बनाए जाते हैं जिसके कारण ढांचागत सुविधा की लागत बढ़ जाती है।

पर्यटन के लिए ढांचगत सुविधाओं के उपर्युक्त संकेतक स्पष्टरूप से निजी बाजार प्रभावित माड़ल को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं ज्योकि कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रवेश कर रहा है।

बोध प्रश्न 2

1) उन विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जहां जहां पर्यटन सम्बन्धी ढाँचागत सुविधा विकसित की जा रही है।

.....

.....

.....

.....

.....

2) आवासीय ढाँचागत सुविधा के विकास सम्बन्धी सरकारी योजना का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

3) विशेष पर्यटन क्षेत्र क्या है ?

.....

.....

.....

.....

.....

19.4 कर्नाटक पर्यटन विकास का केस अध्ययन

कर्नाटक की विस्तृत तटरेखा है, काफी बड़े क्षेत्र पर वन हैं और जलवायु भी अच्छी है। 1995 में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या दो लाख थी और कुल 1.07 करोड़ देशी पर्यटकों का आगमन हुआ। कर्नाटक ने सन 2000 तक पांच लाख विदेशी पर्यटकों के आने का लक्ष्य रखा है किन्तु इतनी बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों के लिए ढाँचागत सुविधा को बढ़ाना पड़ेगा।

19.4.1 पर्यटन नीति

1992 की पर्यटन नीति निम्नलिखित पर्यटक संबंधी गतिविधियों पर बल देती है।

- निजी क्षेत्र में पर्यटक गन्तव्यों पर आवास और पर्यटन सुविधाओं की स्थापना,

- ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय स्थलों की खुदाई,
- वन्य प्राणी पर्यटन को बढ़ावा देना, ऐसे गंतव्य स्थलों पर अनुमत्य ढाँचागत सुविधाओं की स्थापना,
- प्रकृति एवं स्वास्थ्य पर्यटन को प्रोत्साहन देना,
- क्रीड़ा एवं साहसी पर्यटन को प्रोत्साहित करना,
- उत्तरी कर्नाटक में दो विश्व विरासत स्थलों को विकसित करना और ढाँचागत सुविधा की सहायता उपलब्ध कराना,
- पर्याप्त पर्वतीय सैरगाहें विकसित करना जिनके लिए किम्मानागुन्डी, नाद, माले, महादेश्वरा और बलीगिरिरंगना की पहचान की गई है,
- तीज त्यौहारों को प्रोत्साहन देना और राज्य की संचालित यात्राओं को प्रोत्साहन देना,
- होटल परियोजनाओं के लिए एक मार्गी निकासा, 31 परियोजनाओं को पारित किया जा चुका है जिनसे 3343 रोजगार अवसरों को सृजित करने की संभावना है और इसपर 289.53 करोड़ का खर्च आएगा,
- सरकार, व्यापार अकादमी और विशेषज्ञों के सदस्यों द्वारा पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया ताकि राज्यों में पर्यटन विकास पर नजर रखी जा सके। पर्यटन विकास पर 847.36 करोड़ के निवेश के लिए मास्टर प्लान 257 क्षेत्रों के लिए होगा।
- 1996 में रेलवे के प्रारंभ हो जाने की दृष्टि से तटीय सर्किट को विकसित किया जाना है। आशा की जाती है कि सिंगापुर और मलेशिया ऐसे विकास के लिए वित्तीय सहायता देंगे।

  तीन समझोतों के अंतगर्त बंगलौर में एक सम्मेलन केन्द्र, 5 स्थानों पर 5 चार तारा होटलों और एक अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा एजेन्सी के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं।

ताज ग्रुप के साथ मिलकर काम करने वाली कम्पनी की 100 करोड़ रुपए की लागत से स्थापना की गई है ताकि होटलों का सुधार किया जाए या उन्हें आधुनिक बनाया जाए। मरकारा, मानुगुण्डी के चिक मंगलूर और जोग प्रपात पर तीन तारा होटलों के निर्माण की योजना बनाई गई। सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी और ताज ग्रुप के द्वारा नकद निवेश होगा। ताज ग्रुप हेम्पी, पट्टाडकाल और बदामी के साथ साथ मंगलौर के तटीय सैरगाह पर होटल निर्माण की योजना बना रहा है। मरकल में वन्य प्राणी सैरगाह पर कार्य चल रहा है। ओबेरॉय ग्रुप ने 200 करोड़ के निवेश की योजना बनाई है। वह जेनसन्स के साथ मिलकर बैंगलोर के निकट गॉल्फ रिसार्ट पर कार्य कर रहे हैं। स्टर्लिंग रिसॉर्टस बैंगलोर के पास एक व्यापार होटल की योजना बना रहा है। भारतीय पर्यटन विकास निगम अशोका होटल को तीन करोड़ की लागत से उन्नत कर रहा है। क्रेडिट कार्ड व्यापार भी मुद्रा विनिमय और आरक्षण सुविधाओं जैसे वीजा और मास्टर कार्ड जैसी सुविधाओं से होटल एवं वायुसेवा से भी जुड़ गया है।

19.4.2 प्रभाव

कर्नाटक पर्यटन योजना पर्यटन पर दिये गए महत्व को व्यक्त करती है और विकास के माडल के कार्यान्वयन को दर्शाती है। दोनों ही मामलों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अस्थाई आगन्तुकों के लिए ढाँचागत सुविधा की जो आवश्यकता होती है उसे वरीयता दी जा रही है। ये कल्याण क्षेत्र से सरकार के हटने की नीति को दर्शाता है और बाजार द्वारा परिचालित विश्व अर्थव्यवस्था में भारत को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग और व्यापार का आधार उपलब्ध कराता है। ऐसी विकास नीतियों का प्रभाव परिणाम विरोध और प्रतिरोध के रूप में सामने आ चुका है।

इन में से एक फिशर-फॉल्क का मामला है जो मंगलौर नगर से आधे किलोमीटर दूरी पर थानीरू भावी में स्थित है और जहां 40% जनसंख्या मुंगेराओं की है। वे दक्षिणी कन्नड़ के दलितों में सबसे पिछड़े हुए है। उस क्षेत्र में 127 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास के लिए उपार्जित की गई थी। जमींदारों ने मुआवजा

प्राप्त किया और कुछ मामलों में निम्नजाति के किराएदारों को विस्थापित किया गया और अन्य कुछ मामलों में भूमि उपयोग के प्रारूप में परिर्वतन के विषय में कुछ बताया भी नहीं गया। 1992 में राष्ट्रीय कार्य नीति की प्रस्तुति के पश्चात ताज ग्रुप और ऐम्बेसी इन्टरनेशनल ने अधिकृत भूमि को प्राप्त करने का प्रयास किया। किराएदारों को उनके घरों और कार्यस्थलों की नई योजनाओं के विषय में विश्वास में नहीं लिया गया। उद्योग बोर्ड द्वारा नारियल के वृक्षों की नीलामी पहला कदम था। ये पेड़ उनकी सम्पत्ति समझे जाते थे जिन्होंने उनका पोषण किया और उनकी रखवाली की। जब भी समुदाय ने वृक्षों पर अपने अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया, उन्होंने निष्कासन का भय अनुभव किया।

होटलों के लिए उस क्षेत्र को साफ करने के कार्य को राज्य सरकार द्वारा विकासीय लाभ के रूप में देखा गया। राज्य सरकार कहती है कि वहां निवास करने वाले समुदाय के पास न तो झोपड़े हैं और न राशन कार्ड ताकि वह अपना दावा सिद्ध कर सकें। उस क्षेत्र तक पहुंचाने वाली सड़क होटल कम्पनियों द्वारा पाँच वर्ष में बनवाई जा सकीं और वहीं सड़कें गरीब समुदाय के निकाले जाने का मार्ग सिद्ध हुई। इस समुदाय को वहां अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए भूमि क्रय करने का अधिकार या घर बनाने के लिए राज्य सरकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकार, करों पर छूट और ऋण लेने का अधिकार नहीं है। जब समुदाय ने जनपद के अधिकारियों से पुन: निवेदन किया तो उन्हें बताया गया कि मानवता के नाते प्रत्येक विस्थापित परिवार को तीन से पाँच प्रतिशत तक भूमि उपलब्ध हुई तो दी जा सकती है। मंगलौर शहर ने थानीरु भावी में भूमि के मूल्य को विकसित करने के साथ-साथ इसके मूल्य में वृद्धि की। यह स्थानीय लोगों के प्रवेश के लिए दुर्गम हो गया। सार्वजनिक उपयोग या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि के कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार ने भूमि को अपने अधिकार में किया है।

बोध प्रश्न 2

1) कर्नाटक में पर्यटन ढाँचागत सुविधा विकसित करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) कर्नाटक में थानीरू भावी के मछुआरों पर ढांचागत सुविधा के विकास का क्या प्रभाव पड़ा हुआ ?

.....

.....

.....

.....

.....

19.5 स्थानीय समुदाय का दृष्टिकोण : उड़ीसा और केरल

थानीरू भावी में समुदाय द्वारा पूछे गए प्रश्न निम्नलिखित हैं :

- लोग अपनी भूमि क्यों दें ?

- लोग अपने कार्य स्थलों से निष्कासित कर दिए जाने के रूप में विकास की कीमत क्यों चुकाएं ?
- यदि हरजाने के तौर (क्षतिपूर्ति) पर भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा ही मिलना है तो वह घर और काम के बिना जीवित कैसे रहेंगे ?
- एक सैरगाह को उस क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन और जीविका की कीमत पर कुछ लोगों के आनंद की आवश्यकताओं की पूर्ति को सरकार और पर्यटन उद्योग कैसे उचित ठहरा सकते हैं।

बहुत से ऐसे तर्कसंगत प्रश्न हैं जिन्हें आज जनजातियां और निम्नजातीय समुदाय उठा रहे हैं, क्योंकि जनतान्त्रिक प्रबन्ध में उनकी आवाज है। इससे पहले अतीत में निम्न श्रेणी के लोगों को उनके अधिकारों और इच्छाओं की परवाह किए बिना पुन: बसाने योग्य बनाकर उनके विस्थापन को विकास दर्शन का रूप दे दिया जाता था। ढांचागत सुविधा और उद्योग ने लोगों और पर्यावरण का महसूल सुनिश्चित कर दिया किन्तु पूंजीवाद ने उसे उसके लाभों के आधार पर न्याय संगत सिद्ध कर दिया। आज लाभों के लिए मांग केवल कुछ चुने हुए लोगों तक ही सीमित नहीं रह गई है। इसी प्रकार उड़ीसा सरकार के पास पुरी-कोर्णाक समुद्र तट पर तटीय सैरगाह विकसित करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। ये सैरगाह 2227 एकड़ क्षेत्र पर फैले आरक्षित वन को नष्ट कर देगी और 1935 में राज्य की स्थापना से पूर्व स्थापित पक्षी विहार को हटा देगी। राज्य में आन्दोलन और अन्तिम समय में कानून के हस्तक्षेप के कारण परियोजना टाल दी गई। पर्यावरणीय क्षति की दृष्टि के अतिरिक्त जिस पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1991 की सहायता से उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है, तो समीपवर्ती देहातों की समाजिक-आर्थिक दशा पर योजना का प्रभार गंभीर हो सकता है क्योंकि वनों पर ही उनकी जीविका निर्भर है। बालू के टीलों पर नियन्त्रण पा जाने के बाद और चक्रवात विरोधी उपायों के कार्यान्वयन के पश्चात उन्होंने हरित अर्थव्यवस्था विकसित कर ली है। पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। ग्रामीण समुदाय के प्रत्येक सदस्य ने परियोजना का विरोध किया क्योंकि पर्यटन ने कृषि अर्थव्यवस्था का स्थान ले लिया है और वेश्यावृति, तस्करी और नशीली दवाओं का व्यापार चलने लगा। यदि पश्चिमी तट इन क्रियाओं को नियन्त्रित करने का प्रयास करेगा ये गतिविधियां पूर्वी तट की ओर फैलेंगी।

केरल के बेकाल के समुदाय भी ऐसे विकास के विरुद्ध संघर्ष पर उतारू हैं। उन्होंने चितारी नौघाट से चन्द्रगिरि तक की 300 हेक्टेयर भूमि की रक्षा के लिए सुरक्षा समिति का गठन किया है। बेकाल दुर्ग जो एक देशी पर्यटन का आकर्षण है टीपू सुल्तान की पराजय के पश्चात ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से होता हुआ केन्द्रीय सरकार के हाथों में आ गया। दुर्ग के दक्षिण की ओर नौ किलोमीटर का क्षेत्र प्रमुख मत्स्य केन्द्र है जो मानसून के महीनों में भी सक्रिय रहता है और केरल की चारों दिशाओं से आने वाले मछुआरों को अपने शान्त समुद्र के कारण आश्रय देता है। 200 करोड़ विदेशी मुद्रा विनिमय की कमाई होती है और यह अर्थव्यवस्था उन मत्स्य व्यापारियों, वाहकों, कुलियों बर्फ उत्पादकों आदि का भरण-पोषण करती है जो मत्स्य केन्द्र को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

कृषक भी तम्बाकू, नारियल और धान पैदा करते हैं। 25000 समर्थ समुदाय महत्वपूर्ण पर्यटन परियोजना द्वारा विस्थापित किए जाएंगे। इसे यह कहकर उचित ठहराया जाता है कि पर्यटन लोगों की तमाम बुराइयों का इलाज है। समुदाय भूमि, समुद्र तट अपरदन, जल संसाधनों और घाट के प्रति चिन्तित हैं। समुदाय की सामाजिक जिन्दगी भी जोखिम में पड़ जाएगी क्योंकि स्कूल मन्दिर और मस्जिद दुर्ग में ही है। स्थानीय लोग भी घृणा के साथ पर्यटन के यौन अर्थों को देखते हैं। वह प्रश्न करते हैं कि स्थानीय समुदाय अपनी पारम्परिक कार्यकलापों को त्याग कर इस प्रकार गतिविधि एवं रोजगार को क्यों पसन्द करें।

19.6 विकास से सीख

ये उदाहरण हमें अवगत कराते हैं कि ढाँचागत सुविधा का विकास ऐसा मुद्दा है जो केवल प्रशासन या सम्भ्रान्त जमींदारों और व्यवसायिक विकासकों को ही नहीं समुदाय के प्रत्यक्ष ज्ञान को रंग देता है। जब

एक बार समुदाय भूमि उपयोग में परिवर्तनों और विस्थापन के मुद्दों पर संगठित होना प्रारंभ करते हैं तो ऐसे संघर्ष का समाधान आयोजकों के चुनाव क्षेत्र पर निर्भर करता है।

केन्द्र का चुनाव क्षेत्र राष्ट्रीय है और जब वह पर्यटन और अर्थव्यवस्था के लिए उसके लाभ पर दृष्टि डालता है तो वह समस्त परियोजनाओं के वृहत उद्देश्यों से जुडा होता है। राज्य सरकार राज्य में वर्ग जातीय ढांचे के राजनीतिक लाभों को देखती है और सत्ता संभालने में कारक के रूप में निवेश और विकास के सूक्ष्म एवं व्यापक दोनों उद्देश्यों पर ध्यान देती है। ये दोनों दृष्टिकोण ऐसे क्षेत्रों में पूंजीगत विकास को केन्द्रित करने का कारण बने हैं जहां ढांचागत सुविधा सामर्थ्य भी केन्द्रित करने का कारण हुए। अनियमित विकास के कारण सीमान्त निवास की नीतियां उत्पन्न हुई जो सामान्य संसाधनों और लक्षणों पर निर्भर हैं। स्थानीय स्तर पर बहुत से स्वार्थी वर्ग हैं जिन्होंने इन क्षेत्रों में स्वैच्छिक चेष्टा से अपने लिये ऐसा स्थान चुन लिया है जहां उन्हें अपने संकटमय वर्गों के साथ मिलकर जीवन यापन करना है। ये सारी शक्तियां अब विकासीय विवादों में भूमिका निभाती हैं और ढाँचागत सुविधा द्वारा ऐसे विविध स्वार्थों का प्रभावित होना बहुत संभव है। इस विषय पर भी विचार किया गया है। ढाँचागत सुविधा की लागत भी इन विभिन्न क्षेत्रों द्वारा मिलजुलकर आपस में बांट कर ली जाती है किन्तु जो मुद्दा सामने आने वाला है वह कमजोर वर्गों के लोगों के स्वास्थ्य एवं जीविका की कीमत पर निवेश के सामाजिक क्षेत्र से ढांचागत सुविधा के क्षेत्र की ओर गया है। चाहे वह राज्य सहायता के रूप में, हों या करों के रूप में निवेश की वसूली देशी पर्यटकों के लिए पर्यटक उत्पादों की कीमत में वृद्धि करेगी और बाजार के कमजोर वर्ग को संभवतया क्षति पहुंचेगी क्योंकि वह अत्यन्त पिछड़े हुए और अल्प विकसित गंतव्य स्थानों और उत्पादों तक ही सीमित है।

19.7 विकास के वैकल्पिक माडल

जन केन्द्रित विकास कम लागत और कम तीव्र निवेश योजना पर आधारित है और कार्यान्वयन पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के हाथ में है जो निर्वहन क्षमता और गतिविधि का निर्धारण करते हैं।

विनियोग को भी माल के रूप में निवेश सहित स्थानीय स्तर पर निर्धारित करना चाहिए। अत: पर्यटन का मूल्य स्थानीय लोगों को निर्धारित करना चाहिए न कि यात्रा व्यापार को क्योंकि यात्रा व्यापार इसकी लागत अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्धारित करता है और नए गंतव्य स्थानों के अनोखे और विशेष गुण पर ध्यान नहीं देता।

गतिविधि और ढाँचागत सुविधा जिस पर इसे आधारित किया जाना चाहिए उसे भी स्थानीय स्तर पर ही निर्धारित होना चाहिए ताकि उसे टिकाऊ स्तर तक ले जाया जा सके। पर्यटन को जनसाधारण का विकासीय मुद्दा समझना चाहिए और जनता को ही उसके मूल्यों और लाभों का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि आय और सांस्कृतिक आदान प्रदान का वास्तविक अन्तरण ढांचागत सुविधा के नकारात्मक परिणामों को विकसित हुए बिना और राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवादी एजेन्सियों द्वारा नियंत्रण के बिना हो सके।

उपयुक्त एवं स्थायी प्रौद्योगिकी और कौशल विकसित किया जाना चाहिए ताकि उन समुदायों और क्षेत्रों का विस्थापन और परायापन कम से कम हो जिनका उन पर ऐतिहासिक एवं पारंपरिक अधिकार है।

इस सबसे बढ़कर निर्णय करना, योजना बनाना और उनका कार्यान्वयन पारदर्शी होना चाहिए और जहां तक संभव हो सारे लाभभोगियों को समान रूप से उसमें सम्मिलित करना चाहिए। यदि यह नहीं किया गया तो यह भावना पैदा होगी कि यह विकास उनके हित में किया जा रहा है जो स्थानीय लोगों को अनावश्यक समझते हैं। परिणामस्वरूप पर्यटन जो अंत:व्यक्ति निष्ठता पर निर्भर करता है उसे विद्वेष का सामना करना पड़ेगा।

बोध प्रश्न 3

1) बेकाल में समरक्षा समिति का क्या उद्देश्य है ?

.....

.....

.....

.....

.....

2) विकास के लिए वैकल्पिक माडल कैसे तैयार हो सकता है ?

.....

.....

.....

.....

.....

19.8 सारांश

यह स्पष्ट है कि पर्यटन ढाँचागत सुविधा निष्क्रिय गतिविधि नहीं है। जब तक यह नहीं समझा जाता कि पर्यटन न तो अनिवार्य रूप से पर्यावरण स्नेही है और न ही कम लागत वाला है तब तक वास्तव में ढांचागत सुविधा के विकास के कारण नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक शहरी आवासीय ढांचा उत्पन्न कर सकता है जिस के कारण अनेक संसाधनों जैसे जल एवं विद्युत पर दबाव पड़ता है। ढाँचागत सुविधा पूंजीवाद के ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश का एजेन्ट भी है जहां समुदाय पर्यावरण के अनुकूल रहते चले आ रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ी के लिए संभाल कर रखे हुए हैं। उन्होंने वहन क्षमता को बनाए रखा है और मानव तथा प्रकृति में प्राकृतिक सन्तुलन को कायम रखा है। यदि ढाँचागत सुविधा को विकसित करने वाले कार्य बल इन मुद्दों और उन सारे क्षेत्रों के प्रति संवेदनशील हों जो विकास के साझेदारों के प्रतिनिधित्व करते हैं तो परिणामस्वरूप पारंपरिक समुदायों और उनकी जीवन शैली का विस्थापन नहीं होगा।

19.9 शब्दावली

राजकोषीय सहायता : वित्तीय नीति में सरकार उत्पादनकारी कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए आय अथवा सम्पत्ति सम्बन्धी कर प्रदत्त सहायता।

निम्न तीव्रता निवेश योजना : स्थानीय सरकार अथवा पंचायतों के हाथों में जहां योजना के लिए वित्त या मानवशक्ति के अर्थ में निवेश कम होता है।

उपयुक्त और स्थायी प्रौद्योगिकी : प्राय: उद्देश्यों के अनुसार उपयुक्त उपलब्ध प्रौद्योगिकी। किसी समाज में स्थाई प्रौद्योगिकी इस प्रकार विकसित की जाती है कि वह लम्बी अवधि तक ऐसे लाभ देती रहे जिससे समाज के संसाधन पर अकारण बोझ न पड़े।

19.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) देखिए भाग 19.2 एवं भाग 19.3 विशेष अभिरुचि के पर्यटन के नए विकसित होने वाले क्षेत्रों जैसे सम्मेलनों एवं सभाओं का उल्लेख कीजिए।

2) देखिए उप-भाग 19.2.1 करों पर छूट हेरिटेज होटलों जैसी योजनाओं का उल्लेख कीजिए।

3) देखिए उप-भाग 19.3.3 । वर्णन कीजिए कि प्रगाढ़ विकास के लिए इन क्षेत्रों का चयन किस प्रकार होता है। द्वीपीय एवं तटीय पर्यटन के विकास पर दिए जाने वाले महत्व का उल्लेख कीजिए।

बोध प्रश्न 2

1) देखिए उप-भाग 19.4.1 विशेष रूप से परियोजनाओं, होटलों के आधुनिकीकरण, तटीय सर्किटों के विकास आदि का उल्लेख कीजिए।

2) देखिए उप-भाग 19.4.2 भूमि से विस्थापन, समुदायों द्वारा विकसित नारियल वृक्ष की कटाई का उल्लेख कीजिए।

बोध प्रश्न 3

1) देखिए भाग 19.5

2) देखिए भाग 19.7 । ऐसे जनाधारित विकास को स्पष्ट कीजिए जो निम्न तीव्रता निवेश, ढांचागत सुविधा सम्बन्धी निर्णयों में सहभागिता और उपयुक्त प्रौद्योगिकी को प्रारंभ कर सकें।